

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1310]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

No. 1310]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

का.आ. 1474(अ).— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हरीशचंद्र सूरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में 67000-79000 (पूर्व पुनरीक्षित) रूपयों के वेतनमान में तकनीकी सदस्य के रूप में 12 फरवरी, 2019 से पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए-12023/02/2017-एडी. IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

S.O. 1474(E).—In exercise of the powers conferred by section 408 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints Shri Harish Chander Suri as Technical Member in the National Company Law Tribunal in the pay scale of rupees 67000-79000 (pre-revised) with effect from the 12th February, 2019, for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No. A-12023/02/2017-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.